भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1056

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण

1056. श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु किन्हीं ठोस कदमों पर विचार का प्रस्ताव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूजल के निरंतर घटते स्तर और लुप्त होते प्राचीन तालाबों, सीढ़ीदार कुओं और नलकूपों के विकास का संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल निकायों को गहरा करने और उनके जीर्णोद्धार हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन के लिए ठोस उपाय किए जाते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के क्रम में भारत सरकार द्वार निम्नानुसार कदम उठाए गए हैं-

- माननीय प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को व्यापक अभियान बनाने के लिए सभ उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु जल संरक्षण और संचयन के महत्व तथा उनको समझने के लिए सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है।

- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय जल नीति (2012) जल के संरक्षण बढ़ावा देने और सुरक्षा को बढ़ावा देती है और वर्षा जल संचय , वर्षा के जल के सीधे उपयोग और अन्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल की उपलब्धता के संवर्धन हेतु आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस नीति को अपनाने हेतु संबंधित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संबंधित मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों को अग्रेषित किया गया है।

- सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना में 'मानसून के वर्षापात का इष्टतम उपयोग करने हेतु जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने' के विषय को अग्रेषित करने हेतु सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 'अंतर-मंत्रालयी समिति' गठित की गई है।

- मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है जिससे कि वे भूजल के विनियमन तथा विकास हेतु उपयुक्त भूजल कानून अधिनियमित कर सके, जिनमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है । अब तक, 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने इस मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून अपनाए तथा कार्यान्वित किए है।
- देश में भूमि जल विकास और प्रबंधन के विनियमन तथा नियंत्रण के उद्देश्य से 'पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986' की धारा 3(3) के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने भूमिजल/वर्षाजल संचयन को बढ़ावा देने/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए उपाय करने हेतु सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड नियमित रूप से भूमि जल संसाधन के संवर्धन में जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन के म के संबंध में स्टेक होल्डरों की क्षमत निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां करता है।
- निजी व्यक्तियों, एनजीओ, पीएसयू आदि सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण के बेहतर पद्धतियों को संकलित किया गया है और इसे आम जनों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है।
- राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु उठाए जा : कदमों में से एक है। एनडब्ल्यूएम का मुख्य उद्देश्य 'जल का संरक्षण, जल की बर्बादी को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर तथा राज्यों के भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना' है। एनडब्ल्यूएम जल संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण और जनजागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश में प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर भूमि जल की निगरानी करता है। दीर्घावधि आधार पर जल र में गिरावट/बढ़ोत्तरी के रूझान का आकलन करने के क्रम में मानसून-पूर्व जल स्तर आंकड़ा 2018 की तुलना दशकीय औसत (2008-2017) जल स्तर के साथ की गई। आंकड़ों का विश्लेषण, निगरानी किए जा रहे लगभग 52% कुंओं के भूमि जल स्तर में गिरावट दर्शाता है तथा 48% कुओं में वृद्धि मॉनीटर की जा रही है। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

संदर्भ वर्ष 2013-14 सहित लघु सिंचाई स्कीमों की 5वीं गणना रिपोर्ट, जो कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वे (http://mowr.gov.in) पर उपलब्ध है, के अनुसार देश के लगभग 21 मिलियन कुओं में से

2.6 लाख कुएं विभिन्न कारणों जैसे लवणता, सूख जाने, बिना मरम्मत के बर्बाद हो जाने, समुद्र जल के घुस जाने, आदि के कारण स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है।

अनुलग्नक

औसत (मानसून-पूर्व [(2008-2017)] तथा मानसून पूर्व 2018 सहित राज्यवार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव (स्रोत: सीजीडब्ल्यूबी)

क्र.□□	राज्य □□ □□□	विश्लेषित कुओं की संख्या	रेंज मीटर में				बढ़ोतरी						गिरावट						बढ़ोतरी		गिरावट		□□□कुएं जिसमें □□□ परिवर्तन नहीं	
			बढ़ोतरी		गिरावट		0-2 m		2-4 m		>4 m		0-2 m		2-4 m		>4 m							
			न्यून	अधिकतम	न्यून	अधिकतम	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	आंध्र प्रदेश	714	0.01	13.54	0	16.37	234	32.8	39	5.5	17	2.4	317	44.4	69	9.7	37	5.2	290	41	423	59	1	0.1
2	अरुणाचल प्रदेश	8	1.1	1.01	0.03	0.97	3	37.5	1	12.5	1	12.5	3	37.5	0	0.0	0	0.0	5	63	3	38	0	0.0
3	असम	154	0.02	7.67	0.01	7.39	78	50.6	16	10.4	4	2.6	51	33.1	2	1.3	3	1.9	98	64	56	36	0	0.0
4	बिहार	619	0.01	5.3	0.01	7.99	243	39.3	23	3.7	2	0.3	298	48.1	36	5.8	16	2.6	268	43	350	57	1	0.2
5	चंडीगढ़	9	1.72	5.44	0.17	5.7	1	11.1	0	0.0	1	11.1	4	44.4	2	22.2	1	11.1	2	22	7	78	0	0.0
6	छत्तीसगढ़	458	0.03	10.68	0.01	13.23	122	26.6	33	7.2	26	5.7	213	46.5	37	8.1	21	4.6	181	40	271	59	6	1.3
7	दादरा और नगर हवेली	17	0.54	6.12	0.06	6.94	3	17.6	3	17.6	2	11.8	6	35.3	1	5.9	2	11.8	8	47	9	53	0	0.0
8	दमन और दीव	10	0.03	2.81	0.01	4.12	4	40.0	1	10.0	0	0.0	3	30.0	1	10.0	1	10.0	5	50	5	50	0	0.0
9	दिल्ली	82	0.41	12.97	0.14	13.8	14	17.1	4	4.9	2	2.4	21	25.6	23	28.0	18	22.0	20	24	62	76	0	0.0
10	गोवा	70	0	2.44	0.02	5.01	47	67.1	3	4.3	0	0.0	19	27.1	0	0.0	1	1.4	50	71	20	29	0	0.0
11	गुजरात	756	0.01	13	0.01	18.47	238	31.5	65	8.6	42	5.6	251	33.2	80	10.6	70	9.3	345	46	401	53	10	1.3
12	हरियाणा	273	0.01	15.43	0.05	14.63	57	20.9	6	2.2	5	1.8	122	44.7	47	17.2	36	13.2	68	25	205	75	0	0.0
13	हिमाचल प्रदेश	86	0.15	6.04	0.01	4.35	16	18.6	3	3.5	2	2.3	57	66.3	6	7.0	2	2.3	21	24	65	76	0	0.0
14	जम्मू और कश्मीर	244	0.01	10.17	0.01	17.69	39	16.0	3	1.2	5	2.0	140	57.4	46	18.9	11	4.5	47	19	197	81	0	0.0
15	झारखंड	255	0.01	5.18	0.02	5.53	143	56.1	21	8.2	4	1.6	73	28.6	10	3.9	4	1.6	168	66	87	34	0	0.0
16	कर्नाटक	1343	0.01	18.64	0.0	19.16	553	41.2	156	11.6	83	6.2	377	28.1	113	8.4	52	3.9	792	59	542	40	9	0.7
17	केरल	1431	0.0	13.37	0.0	13.78	727	50.8	29	2.0	17	1.2	594	41.5	43	3.0	17	1.2	773	54	654	46	4	0.3
18	मध्य प्रदेश	1330	0.01	17.31	0.01	12.19	360	27.1	128	9.6	58	4.4	552	41.5	151	11.4	79	5.9	546	41	782	59	2	0.2
19	महाराष्ट्र	1632	0.0	15.27	0.0	14.6	522	32.0	151	9.3	101	6.2	581	35.6	185	11.3	91	5.6	774	47	857	53	1	0.1
20	मेघालय	22	0.12	3.02	0.01	1.45	8	36.4	1	4.5	0	0.0	13	59.1	0	0.0	0	0.0	9	41	13	59	0	0.0
21	ओड़िशा	1254	0.01	6.34	0.01	5.95	621	49.5	120	9.6	25	2.0	419	33.4	54	4.3	12	1.0	766	61	485	39	3	0.2
22	पुदुच्चेरी	5	0.07	1.15	0.36	0.51	3	60.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	3	60	2	40	0	0.0
23	पंजाब	216	0.0	14.14	0.02	12.77	28	13.0	3	1.4	4	1.9	105	48.6	38	17.6	38	17.6	35	16	181	84	0	0.0
24	राजस्थान	929	0.0	17.01	0.01	18.39	265	28.5	113	12.2	96	10.3	220	23.7	94	10.1	140	15.1	474	51	454	49	1	0.1
25	तमिलनाडु	528	0.0	12.98	0.01	13.6	137	25.9	48	9.1	24	4.5	189	35.8	73	13.8	56	10.6	209	40	318	60	1	0.2
26	तेलंगाना	568	0.01	17.67	0.02	17.61	168	29.6	75	13.2	52	9.2	175	30.8	53	9.3	40	7.0	295	52	268	47	5	0.9
27	त्रिपुरा	25	0.12	2.49	0.54	4.96	20	80.0	1	4.0	0	0.0	2	8.0	1	4.0	1	4.0	21	84	4	16	0	0.0
28	उत्तर प्रदेश	563	0.01	14.53	0.01	14.29	81	14.4	11	2.0	5	0.9	358	63.6	74	13.1	34	6.0	97	17	466	83	0	0.0
29	उत्तराखंड	28	0.14	6.83	0.05	11.13	5	17.9	1	3.6	2	7.1	14	50.0	4	14.3	2	7.1	8	29	20	71	0	0.0
30	पश्चिम बंगाल	614	0.01	12.46	0.01	12.92	306	49.8	74	12.1	28	4.6	145	23.6	40	6.5	20	3.3	408	66	205	33	1	0.2
□□□		**14243**					**5046**	**35.4**	**1132**	**7.9**	**608**	**4.3**	**5324**	**37.4**	**1283**	**9.0**	**805**	**5.7**	**6786**	**48**	**7412**	**52**	**45**	**0.3**